

# कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


## कार्यालय आदेश

शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांक प.9(4)प्राशि/2021 जयपुर, दिनांक: 17.10.2022 द्वारा अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में प्रतिनियुक्ति करने बाबत प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 144 "क" के तहत निम्नांकित कार्मिक की प्रतिनियुक्ति उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान के लिये की जाती है:-

क्र.सं.	अध्यापक का नाम	अध्यापक का पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	आवासीय विद्यालय का नाम
1	Ramchandra Rathi	Teacher Level-2 Mathematics/science	G.S.S.S. Sadram ki beri, Dhanau, barmer	रा.अ. बालक आ.वि. नागौर।

सभी संबन्धित सूचित हो।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


  
उप निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/शिक्षक संस्था/एफ-2/अल्प सं.वि.प्रनि/2022  
प्रतिलिपि:-

दिनांक : 03.11.2022

1. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), प्रारम्भिक शिक्षा, सम्बन्धित को उक्तानुसार पालनार्थ।
6. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सम्बन्धित कार्मिक।

  
उप निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर